

विहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक: 30.06.2009

संख्या 2/टी-26/2009 853(2) /स्वा० विहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के निम्नांकित चिकित्सा पदाधिकारियों को रथानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित जिला में पदस्थापित किया जाता है।

क्रम संख्या	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन का जिला	नवपदस्थापित जिला
1	डॉ हरेन्द्र कुमार सिंह	बाका	जमुई
2	डॉ शैलेन्द्र कुमार सिंह	बाका	जमुई
3	डॉ सुरेश प्रसाद रिन्हा	नवादा	जमुई
4	डॉ जयप्रकाश सिंह	बाका	जमुई
5	डॉ सत्येन्द्र कुमार		जमुई
6	डॉ दीपक कुमार भगत	लखीसराय	जमुई
7	डॉ धीरेन्द्र प्रसाद सिंह	जहानाबाद	जमुई
8	डॉ रमण		जमुई
9	डॉ अजय कुमार सिंह	भागलपुर	जमुई
10	डॉ अर्जुन प्रसाद	शेखपुरा	जमुई
11	डॉ विनोद कुमार सिंह	कटिहार	जमुई
12	डॉ नर्मीना पासवान	लखीसराय	जमुई


2. सम्बन्धित सिविल सर्जन/नियंत्री पदाधिकारी 15 दिनों के भीतर स्थानान्तरित चिकित्सा पदाधिकारियों को पदस्थापित रथान के लिए निश्चित रूप से विरमित कर देंगे और नवपदस्थापित जिले के सिविल सर्जन, विरमित होकर योगदान देने वाले चिकित्सा पदाधिकारियों का पदस्थापन जिले के अन्तर्गत रिवत पद के विरुद्ध 15 दिनों के भीतर निश्चित रूप से कर देंगे।

3. अधिसूचित चिकित्सा पदाधिकारी जुलाई माह का येतन नव पदस्थापित स्थान से प्राप्त करेंगे।

4. निलम्बन/न्यायालय के अन्यथा आदेश की स्थिति में यह आदेश उनपर लागू नहीं होगा।

5. इस अधिसूचना में अंकित किसी भी चिकित्सा पदाधिकारी के पदस्थापन के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना अवक्षित समझी जाय।

विहार राज्यपाल के आदेश से

(डॉ प्रमोद कुमार) 

सरकार के उप सचिव

शापांक 2/टी-26/2009 853(2) /स्वा०, दिनांक 30.06.2009

प्रतिलिपि : अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय गुलजारबाग पटना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : महालेखाकार, विहार, /अवर सचिव वित्त, (वै0दा०नि० को०) विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सम्बन्धित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सम्बन्धित प्रमण्डलीय आयुक्त/सम्बन्धित जिला पदाधिकारी/सम्बन्धित क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/सम्बन्धित असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/उप महानिरीक्षक अभियोजन विहार, पटना /संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री/माननीय राज्य मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के सचिव स्वास्थ्य/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ/उप सचिव स्वास्थ्य/प्रशास्त्रा पदाधिकारी 2,3,7,9, एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव